भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
[illegible]

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0 /799 दिनॉक : 30.12.2022

सेवा में,
अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Approach/13881/2015

विषयः कार्योपरान्त स्वीकृति **(Ex-post Facto)** के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम उखलाना के खसरा सं0–1470 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर–वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, उ0प्र0 का पत्रांक 1749/11–सी–FP/UP/Approach/13881/2015 दिनांक 21.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक विशेष सचिव (वन), उ0प्र0 के पत्रांक 619/14–2–2017–800 (56)/2017, दिनांक 03.08.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी। प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.042018 द्वारा आवश्यक सूचनाऐं मांगी गई थीं जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी थी।

प्रस्तुत अनुपालना के अवलोकन उपरान्त प्रकरण में मंत्रालय की आगामी कार्रवाई हेतु प्रकरण को दिनांक 21–12–.2022 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में प्रकरण को मंत्रालय की आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित किये जाने की स्वीकृति इन शर्तों के साथ प्रदान की गयी है कि–

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशानिर्देशों के पैरा 1.21 (ii) के तहत उल्लंघन स्वरूप जितनी वनभूमि में उल्लंघन हुआ है उसके पाच (5) गुना दण्डात्मक एन0पी0वी0 एव उस पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
2. सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई की विस्तृत आख्या प्रेषित की जायेगी।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्रवाई कर जानकारी/सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध कराने कष्ट करें, जिससे प्रकरण को मंत्रालय की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा सके।

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
4. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, सेक्टर–3, नोएडा।
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

30-12-2022
(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक–2225/11सी– FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 02, 2023

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए–5, से0–3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।